

हस्ताक्षर काल 21/11/2022



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखीमपुर खीरी, तहसील : मिताली

वाद संख्या :- 3548/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- 12022104328073548

ग्लोबस स्पिट्स लिमिटेड नई दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद ग्लोबस स्पिट्स लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा राजेश कुमार पुत्र हरिश्चंद्र वरिष्ठ प्रशासनिक सम्पर्क प्रबंधक निवासी पी0-94 कैसिंगटन पार्क-2 जयपी विश टाउन सेक्टर-131 नोयडा गौतमबुद्ध नगर द्वारा धारा-80(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत योजित कर कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम अब्बासपुर परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-744/0.611हे0 में से 0.202हे0, 749/1.036हे0 में से 0.925हे0, 751/0.178हे0, 752/0.178हे0, 761/0.360हे0 में से 0.180हे0, 756/0.057हे0, 733/0.340हे0, 734/0.364हे0, 735/0.644हे0, 736/0.595हे0, 737/0.482हे0, 532/0.384हे0, 710/0.425हे0, 776/0.089हे0, 764/4.658हे0, 765/2.371हे0, 729/0.526हे0, 722/3.628हे0, में से 0.628हे0, 777/0.178हे0, 718/0.235हे0, 719/0.295हे0, 771/0.045हे0, 772/0.045हे0, 773/0.045हे0, 774/0.045हे0, 779/0.170हे0, 780/0.170हे0, 738मि0/0.045हे0, 738मि0/0.202हे0, 738मि0/0.154हे0 कुल 30 किता में से 14.8550हे0 पर प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-77 से प्रभावित नहीं है तथा कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। गाटा संख्या-777/0.178हे0 पर मकान बना हुआ है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसे अकृषिक घोषित करने की याचना की है। साक्ष्य के रूप में खतौनी वर्ष 1426-31फ0 खाता संख्या-327, 222, 377, 115, 183, 114, 211, 208, 217, 210, 180, 179, 202, 201, 199, 200, 203, 436, 139, 138, 142, 137, 141, 140, 172, 209, 21, जोत चकबन्दी आकारपत्र-41 व 45 तथा सर्किल रेट की एक प्रतिशत कोर्ट फीस व शुल्क चालान व विभाजन शुल्क, प्रार्थी ने स्वयं का तथा सहखातेदारों का शपथपत्र व खसरा तथा स्थल का फोटो व भारमुक्त दाखिल किया है। वाद दर्ज कर तहसीलदार मिताली से आख्या मंगायी गयी, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार मिताली की आख्या दिनांक 22.11.2022 में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम अब्बासपुर परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-744/0.611हे0 में से 0.202हे0, 749/1.036हे0 में से 0.925हे0, 751/0.178हे0, 752/0.178हे0, 761/0.360हे0 में से 0.180हे0, 756/0.057हे0, 733/0.340हे0, 734/0.364हे0, 735/0.644हे0, 736/0.595हे0, 737/0.482हे0, 532/0.384हे0, 710/0.425हे0, 776/0.089हे0, 764/4.658हे0, 765/2.371हे0, 729/0.526हे0, 722/3.628हे0, में से 0.628हे0, 777/0.178हे0, 718/0.235हे0, 719/0.295हे0, 771/0.045हे0, 772/0.045हे0, 773/0.045हे0, 774/0.045हे0, 779/0.170हे0, 780/0.170हे0, 738मि0/0.045हे0, 738मि0/0.202हे0, 738मि0/0.154हे0 कुल 30 किता रकबा में से 14.8550हे0 पर प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-77 से प्रभावित नहीं है तथा कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। गाटा संख्या-777/0.178हे0 पर मकान बना हुआ है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसे अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की है।

पृष्ठ संख्या :

तहसीलदार मिताली की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली का नियम-85(2) प्रभावी होगा। आवेदक ने कृषि प्रयोजन के

अतिरिक्त भूमि प्रयोग हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निधारित साकल रेट का एक प्रातःरात्रि नंबर-आर.जे.डी.220004370 मु0-3,26,900रू0 तथा विभाजन शुल्क चालान नंबर-आर.जे.डी.220004360 मु0-10,000रू0 सुसंगत शासकीय शीर्षक भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है तथा साकल रेट की एक प्रतिशत की कोर्ट फीस संलग्न की है। तहसीलदार मितौली की आख्या के आधार पर भूमि स्थित ग्राम अब्बासपुर परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-744/0.611हे0 में से 0.202हे0, 749/1.036हे0 में से 0.925हे0, 751/0.178हे0, 752/0.178हे0, 761/0.360हे0 में से 0.180हे0, 756/0.057हे0, 733/0.340हे0, 734/0.364हे0, 735/0.644हे0, 736/0.595हे0, 737/0.482हे0, 532/0.384हे0, 710/0.425हे0, 776/0.089हे0, 764/4.658हे0, 765/2.371हे0, 729/0.526हे0, 722/3.628हे0, में से 0.628हे0, 777/0.178हे0, 718/0.235हे0, 719/0.295हे0, 771/0.045हे0, 772/0.045हे0, 773/0.045हे0, 774/0.045हे0, 779/0.170हे0, 780/0.170हे0, 738मि0/0.045हे0, 738मि0/0.202हे0, 738मि0/0.154हे0 कुल 30 किता रकबा में से 14.8550हे0 भूमि को ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा राजेश कुमार पुत्र हरिश्चंद्र वरिष्ठ प्रशासनिक सम्पर्क प्रबंधक निवासी पी0-94 कैसिंगटन पार्क-2 जयपी विश टाउन सेक्टर-131 नोयडा गौतमबुद्ध नगर के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अंतर्गत भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किये जाने संबंधी घोषणा किया जाना विधि सम्मत है।

आदेश

अतः ग्राम अब्बासपुर परगना औरंगाबाद की गाटा संख्या-744/0.611हे0 में से 0.202हे0, 749/1.036हे0 में से 0.925हे0, 751/0.178हे0, 752/0.178हे0, 761/0.360हे0 में से 0.180हे0, 756/0.057हे0, 733/0.340हे0, 734/0.364हे0, 735/0.644हे0, 736/0.595हे0, 737/0.482हे0, 532/0.384हे0, 710/0.425हे0, 776/0.089हे0, 764/4.658हे0, 765/2.371हे0, 729/0.526हे0, 722/3.628हे0, में से 0.628हे0, 777/0.178हे0, 718/0.235हे0, 719/0.295हे0, 771/0.045हे0, 772/0.045हे0, 773/0.045हे0, 774/0.045हे0, 779/0.170हे0, 780/0.170हे0, 738मि0/0.045हे0, 738मि0/0.202हे0, 738मि0/0.154हे0 कुल 30 किता रकबा में से 14.8550हे0 भूमि को ग्लोबस स्प्रिट्स लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा राजेश कुमार पुत्र हरिश्चंद्र वरिष्ठ प्रशासनिक सम्पर्क प्रबंधक निवासी पी0-94 कैसिंगटन पार्क-2 जयपी विश टाउन सेक्टर-131 नोयडा गौतमबुद्ध नगर के नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-80(2) के अंतर्गत भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिये किये जाने संबंधी घोषणा की जाती है, परन्तु यह और कि यदि भूमिधर, इस धारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 5वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो धारा-80(2) के अधीन यह घोषणा व्यपगत हो जायगी। यह आदेश वादी द्वारा दिये गये शपथपत्रों में वर्णित तथ्यों के अधीन होगा। उक्त शपथपत्रों में वर्णित तथ्यों में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मितौली को भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक-08.12.2022



उपजिलाधिकारी मितौली
जनपद-लखीमपुर खीरी।

नकल प्रार्थना पत्र की सा. 958 दिनांक 13-12-22
नकल तैयार करने का दि. 13-12-22
नकल जारी करने का दि. 13-12-22
टिकट का नं. 1-10-000
शब्दों की संख्या 260 समान

सत्य प्रतिनिधि